बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 199

पहलकदमी जरूरी

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की आधिकारिक भारत यात्रा के बाद हमारे पास यह अवसर है कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते का आकलन किया जाए। सरकार से सरकार के स्तर पर यह रिश्ता मजबूत है लेकिन कुछ महत्त्वपूर्ण मानकों पर यह कमजोर बना हुआ है। यात्रा के दौरान सात समझौते हुए और तीन परियोजनाओं की शुरुआत हुई। इन समझौतों का दायरा काफी व्यापक है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश के तटीय इलाके में रडार आधारित निगरानी तंत्र स्थापित करने पर काफी ध्यान दिया गया है। बंगाल की खाड़ी की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। एक अन्य उपयोगी घटना है बांग्लादेश के मंगला और चट्टोग्राम बंदरगाहों के इस्तेमाल की साझा प्रक्रिया को अंतिम रूप देना। यहां से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से और वहां तक वस्तुओं का मालवहन हो सकता है। बांग्लादेश पूर्वी भारत में तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी सहायता करेगा।

ये सभी महत्त्वपूर्ण कदम हैं। नौवहन समझौते को पूर्वोत्तर भारत के साथ बेहतर संचार सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंच अनिवार्य है। यदि एशिया प्रशांत क्षेत्र के पश्चिमी किनारे में चीन की उपस्थिति से निपटना है तो बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा सहयोग भी आवश्यक है। इसके बावजूद अन्य मुद्दों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, खेद की बात है कि तीस्ता नदी जल के सवाल पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। बांग्लादेश त्रिपुरा के एक सूखे कस्बे के लिए फेनी नदी से पानी देने को तैयार हो गया, वहीं भारतीय अधिकारियों को यह समझना होगा कि बांग्लादेश के लिए तीस्ता का मुद्दा कितना भावनात्मक है और इससे जुड़ी बाधाओं को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। केंद्र में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी तब पश्चिम बंगाल की राजनीति के चलते इस मसले पर समझौता नहीं हो सका। अब जबकि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपने लिए अच्छी संभावना देख रही है तो तीस्ता नदी का मुद्दा एक बार फिर राज्य की राजनीति के कारण टाला नहीं जा सकता है। राज्य की राजनीति के चलते सामरिक महत्त्व के मुद्दों को यूं अनंत काल तक नहीं टाला जा सकता।

दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बुनियादी ढांचे और साझा प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। बांग्लादेश को रेलवे रोलिंग स्टॉक का प्रावधान एक अच्छा कदम है लेकिन सामान्य वाहनों की इजाजत को भी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। भारत में बांग्लादेश की वस्तुओं पर से गैर टैरिफ अवरोध समाप्त किए जाने चाहिए। साझा पादपस्वच्छता मानक और प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। दोनों देशों का आपसी व्यापार 1,000 करोड़ डॉलर से कम है और इसे आसानी से दोगुना किया जा सकता है। दोनों देश आर्थिक रूप से जितने करीब आएंगे, उन्हें उतना ही लाभ होगा। सुरक्षा के मुद्दे पर किसी मतभेद की आशंका नहीं है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरगामी दृष्टि अपनाए। ढाका में शेख हसीना एक अहम साझेदार हैं, दोनों देशों के रिश्ते को सत्ताधारी प्रतिष्ठान के साथ गर्मजोशी से आगे बढ़ाना होगा। आम जनता के बीच संपर्क आसान बनाया जाना चाहिए। विश्वसनीय विपक्ष की अनुपस्थिति में वहां के नागरिक समाज तक पहुंच बढ़ानी चाहिए। भारत के साथ अच्छे रिश्तों को वहां भी ऐसी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, मिसाल के तौर पर नदी जल या निगरानी डेटा के संयुक्त इस्तेमाल के बारे में, तो राष्ट्र हित में ऐसा करना सर्वथा उचित होगा।

बिनय सिन्हा

बुनियादी ढांचा क्षेत्र को चाहिए वित्तीय संस्थान

अगर भारत को बुनियादी क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान की जरूरत है। बता रहे हैं **विनायक चटर्जी**

प्रधानमंत्री ने 2019 से 2024 तक देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है। भारत को इस स्तर के निवेश की जरूरत है और अगर हम जीसीएफआई (जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर बुनियादी क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण) के चश्मे से देखें तो यह आंकड़ा सही लगता है। लेकिन बुनियादी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और सार्वजनिक खर्च बढ़ाने में तंगी को देखते हुए एक कारगर और खास विकासात्मक वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।

जून 2017 में बिज़नेस स्टैंडर्ड में मैंने एक इन्फ्राटॉक लेख में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड का पुनर्गठन करने की बात कही थी ताकि यह एक कारगर भूमिका निभा सके। उसके बाद से एक व्यापक और ज्यादा कारगर डीएफआई की जरूरत और बढ़ गई है।

वर्ष 2019 सरकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक उल्लेखनीय वर्ष होगा क्योंकि सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों का विलय कर रही है। लेकिन बुनियादी क्षेत्र के वित्तपोषण में भी सुधार की गुंजाइश है। अगर यह सफल हुआ तो इससे देश में बुनियादी क्षेत्र में निवेश के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव होंगे।

देश में बुनियादी क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाले मौजूदा संस्थानों इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी, हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के अधिग्रहण के साथ अब बड़ी कंपनी) और इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन के विलय का प्रस्ताव है। इससे एक नई सर्वोच्च वित्तीय संस्था का गठन होगा। इसका गठन संसद द्वारा पारित कानून के जरिये होना चाहिए और कई संस्थाओं के विनियमन से छूट मिलनी चाहिए।

निश्चित रूप से देश को इस तरह की संस्था की जरूरत है और इसके बहीखाते का आकार तीन चरणों की प्रक्रिया में 20 लाख करोड़ रुपये का होना चाहिए। इसमें से दो लाख करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी हो और कर्ज नौ गुना होना चाहिए। उसे मौजूदा सरकार की बेहतर अंतरराष्ट्रीय छवि का फायदा उठाते हुए विदेशों से सस्ती दर पर दीर्घावधि पूंजी जुटाने का अधिकार होना चाहिए। सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का ऋण 50 साल के लिए 0.1 फीसदी के ब्याज पर देने के लिए जापान को राजी करके अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके ऋण का पुनर्भुगतान ऋण मिलने के 15 साल बाद शुरू होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब भी बुनियादी क्षेत्र की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से वसूली का प्रयास कर रहे हैं। वे इस सुस्ती को दूर करने की स्थिति में नहीं हैं। किसी भी स्थिति में परिसंपत्ति-देनदारी में बेमेल की गलती को दोहराया नहीं जाना चाहिए। विदेशी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडों ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है लेकिन उनके निशाने पर कम जोखिम वाली पुरानी कार्यशील परिसंपत्तियां हैं। अब जब राजकोषीय घाटा 4 फीसदी तक पहुंचने वाला है तो बुनियादी क्षेत्र पूरी तरह सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर नहीं रह सकता।

आजादी के बाद से डीएफआई ने दशकों तक देश में परियोजनाओं के वित्तपोषण और उद्यमियों की पीढ़ी तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उद्योग में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कई संस्थान बनाए गए। ये ऐसी परियोजनाएं थीं जिन्हें उस समय वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं देते थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनैंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन उस दौर में किया गया जब स्वदेशी उद्योग के लिए शायद ही कोई निजी क्षेत्र की पूंजी उपलब्ध थी लेकिन भारत में तत्काल उद्यमिता और औद्योगिक आत्मनिर्भरता विकसित करने की जरूरत थी।

हालांकि समय बीतने के साथ इन संस्थाओं को सुधारों से पूर्व के दौर की विरासत के रूप में देखा जाने लगा। देश और दुनिया में ऐसे डीएफआई का सुनहरा दौर 1950 से 1970 के दशकों के बीच था। हालांकि 1980 के दशक तक इनमें से कई का निजीकरण होने लगा, वे बंद हो गए या फिर आईसीआईसीआई और आईडीबीआई की तरह परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों में बदल गए। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनैंस कंपनी (आईडीएफसी) को लगा कि उनका अधिकार क्षेत्र क्षेत्रवार डीएफआई तक सीमित नहीं है और उन्होंने अपना खुद का रास्ता चुना। हाल में गठित नैशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) खुद को प्लेटफॉर्म आधारित इक्विटी निवेशक के तौर पर देखता है।

फिर भी तथाकथित राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) वास्तव में कभी दूर नहीं हुए। इसकी भूमिका विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी नहीं रही जिन्होंने भारत में बुनियादी क्षेत्र की कई योजनाओं का वित्तपोषण किया है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के रोजेरियो स्टुडार्ट और केविन पी गलागेर ने 2016 में एक अध्ययन में बताया कि एनडीबी में दुनिया की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है क्योंकि कोरिया और चीन जैसे देशों की आर्थिक सफलता में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जहां बुनियादी क्षेत्र और उद्योग के लिए वित्तपोषण की बात है तो कई नव औद्योगिक देश एनडीबी को बहुस्तरीय संस्थानों से बेहतर विकल्प मानते हैं। इसकी वजह यह है कि पैसों को कैसे खर्च किया जाना है, इसका फैसला लेने में उन्हें ज्यादा अधिकार हासिल हैं। अध्ययन के मुताबिक दुनिया के 250 एनडीबी के पास कम से कम 5 लाख करोड़ डॉलर की परिसंपत्तियां हैं जो नामी-गिरामी बहुस्तरीय वित्तीय संस्थाओं से कहीं अधिक है।

ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक (बीएनडीईएस) इस बात का प्रबल उदाहरण है कि एनडीबी की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसकी स्थापना भी 1950 के दशक में की गई थी लेकिन अपने भारतीय समकक्षों के उलट यह अब भी डीएफआई की भूमिका निभा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्राजील के वित्त बाजार ऐतिहासिक रूप से ज्यादा विकसित नहीं रहे हैं और वहां ब्याज दर अधिक है जबकि वाणिज्यिक बैंकों का जोर अल्प से मध्यावधि ऋण पर रहता है। दीर्घावधि ऋण बीएनडीईएस के दायरे में आता है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद उपजे नकदी संकट में जब दूसरे वाणिज्यिक बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया था तो ब्राजील की सरकार ने बीएनडीईएस को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया।

इक्कीसवीं सदी में भारत में एक बार फिर डीएफआई का समय है और इस बार उसकी जिम्मेदारी बुनियादी क्षेत्र के लिए धन का प्रबंध करना है।

(लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

जल उपयोग के तरीके पर पुनर्विचार की दरकार

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

दक्षिण अफ्रीका की कार्यकर्ता जैकी किंग को नदियों में पारिस्थितिकी प्रवाह की जरूरत पर बल देने के लिए वर्ष 2019 के विश्व जल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आज यह मुद्दा अहम है कि पानी की बढ़ती जरूरत एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ते जोखिम के दौर में अपनी नदियों के अधिकारों को कैसे बहाल किया जाए? हमें समझना होगा कि नदियों के प्रवाह का मुद्दा असल में सत्ता की राजनीति से जुड़ा है। नदियों के अधिकारों का सवाल उस समय बेहद जटिल एवं राजनीतिक हो जाता है जब पानी की कमी हो और अधिकारों को चुनौती दी जा रही हो।

भारत जैसे देशों में पानी अनाज पैदा करने में लगे करोड़ों किसानों को दिया जाता है। लेकिन आज शहरों के साथ-साथ उद्योगों की संख्या भी बढ़ रही है। जद्दोजहद इस बात पर है कि इस प्राकृतिक संसाधन के पुराने एवं नए उपभोक्ताओं के बीच पानी का पुनर्वितरण कैसे हो? यह काम बेहद कठिन है। इस पुनर्वितरण से तनाव पैदा होता है और कुछ जगहों पर यह खूनी संघर्ष का भी रूप ले लेता है। बाकी दुनिया के साथ अपने मतभेदों को समझना भी जरूरी है। पहले ही विकसित हो चुकी दुनिया मसलन यूरोप में पानी का वितरण मुख्य रूप से शहरों एवं उद्योगों को ही होता है क्योंकि आजीविका की तलाश में लोग शहरों में ही बस चुके हैं। लेकिन भारत में अब भी करोड़ों लोग खेतों में काम करते हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिए पानी की जरूरत है।

समस्या यह भी है कि शहर एवं उद्योग पानी तो लेते हैं लेकिन इसके बदले वे अपशिष्ट पदार्थ एवं प्रदूषण देते हैं। वे नदियों को नष्ट कर देते हैं और इस तरह पहले से ही कम उपलब्ध पानी और भी लुप्त हो रहा है। लिहाजा इस संघर्ष में नदियों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता, उनमें प्रवाह के लिए पानी ही नहीं है। लेकिन एक और समस्या है। नदी के पास समुचित जल नहीं होने से वह इंसानों के पैदा किए हुए अवशिष्ट को बहाकर ले भी नहीं जा पाती। यह अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती है और रोज कई मौतें मरती है।

यह सब कुछ जलवायु परिवर्तन के युग में घट रहा है। तथ्य यह है कि हमें जल प्रबंधन के बारे में अपनी समझ एवं जानकारी के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आज बारिश होती है तो आसमान से बूंदें नहीं गिरती है, सैलाब आता है। वर्ष 2019 के मॉनसून में ही हम भारी एवं बहुत भारी बारिश के 1,000 से अधिक मामले देख चुके हैं, कई जगहों पर एक ही दिन में औसत बारिश की तुलना में 1,000-3,000 फीसदी अधिक बारिश हुई है। नतीजतन, इन जगहों पर बाढ़ आ गई। इससे भी बुरी बात यह है कि बाढ़ के बाद सूखे के हालात बन गए क्योंकि अतिवृष्टि वाले स्थानों पर अतिरिक्त पानी सहेजने के लिए जरूरी ढांचा ही नहीं है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, तालाबों एवं पोखरों को बरबाद किया जा चुका है। इस तरह सूखे के समय बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। यह सामान्य न होकर बेहद असामान्य बात है। याद रखें कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दिखने तो अभी बस शुरू हुए हैं। आगे चलकर तापमान और बढ़ेगा।

हमें अत्यधिक बारिश के दौर में बांधों की भूमिका पर भी सिरे से सोचने की भी जरूरत होगी। बांधों का निर्माण पानी इकट्ठा करने और प्रवाह के नियमन के लिए किया गया था। लेकिन अब पानी को इस तरह रखना काफी जोखिम भरा होता जा रहा है क्योंकि बांधों के प्रबंधकों के पास अत्यधिक बारिश की स्थिति में इकट्ठा पानी छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता है। अचानक पानी छोड़े जाने से बाढ़ एवं प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इससे व्यापक स्तर पर जनजीवन नष्ट होता है।

इस मुद्दे पर हमें जैकी किंग की अवधारणा पर गौर करने की जरूरत है ताकि हम नदियों के अधिकारों पर निर्णय करने की वास्तविकता का सामना करें। यह एक मौका भी है क्योंकि अगर हम नदियों को पानी का अधिकार देते हैं तो फिर हम कम से भी ज्यादा कर पाना सीख जाएंगे।

पहला, कृषि क्षेत्र को पानी के इस्तेमाल पर अधिक समझदारी दिखानी होगी। लेकिन इसका मतलब केवल ड्रिप सिंचाई अपनाना भर नहीं है। इसका यह मतलब भी है कि हम अपने भोज्य पदार्थों में इस तरह बदलाव करें कि कम पानी का इस्तेमाल करने वाले भोजन करें और हम धनी देशों में प्रयुक्त औद्योगिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मांसाहारी उत्पाद न तैयार करें। इसके लिए जरूरी होगा कि सरकार फसलों की खरीद के दौरान चावल के बजाय कम पानी में उपजने वाले बाजरे को प्राथमिकता मिले।

दूसरा, शहरों को नदियों से पानी लेने और फिर दोबारा पानी भरने के बारे में सीखना होगा। यहीं पर मल-मूत्र प्रबंधन का बड़ा अवसर भी है जो किफायती होने के साथ टिकाऊ भी है। शहरों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें नाले में बहने वाली हरेक बूंद को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल करना है। शहरों को यह कहा जाना चाहिए कि वे अपने नाला गिरने वाली जगह से पीने के लिए पानी जुटाएं। ऐसा होने पर शहर अपने अवशिष्ट जल के शोधन के लिए बाध्य होंगे और वह पानी दोबारा जलचक्र में लौट आएगा। इससे जल सुरक्षा भी बढ़ेगी।

तीसरा और सबसे अहम, हमें यह अहसास करना होगा कि अत्यधिक एवं असमान बारिश से निपटने का इकलौता रास्ता यही है कि हरेक बूंद को संरक्षित किया जाए और निकासी के लिए समुचित ढांचा बनाया जाए। हरेक जलस्रोत, हरेक नाले को गहरा एवं संरक्षित किया जाए ताकि बाढ़ के पानी को जमा किया जा सके। भारत में जलभंडार प्रणालियां बनाने की असाधारण एवं विविध परंपरा रही है। ये ढांचे हमारे नए मंदिर बनने चाहिए। हरेक नाला, गड्ढा और जलस्रोत को इस तरह संरक्षित किया जाए कि बाढ़ का पानी भूमिगत जल को रिचार्ज करने में इस्तेमाल किया जा सके जो सूखे की स्थिति में काम आएगा।

कानाफूसी

सिंधिया की असहमति

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर अपनी असहमति दर्ज कराई है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ और बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के आकलन पर सवाल उठाए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव पर अपनी पार्टी के रुख से अलग मत प्रकट किया था। इसके बाद जब मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच मतभेद की समस्या आई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को सलाह दी थी कि वह नेताओं के मतभेद दूर करने के लिए काम करें। दरअसल सिंधिया पार्टी के मामलों में अपना दखल बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ और पूर्व मुख्यंत्री दिग्विजय सिंह उन्हें राज्य की राजनीति से बाहर रखने पर तुले हुए हैं।

बढ़ता असंतोष

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी कम से कम ढाई वर्ष दूर हैं और कांग्रेस में नेतृत्व का संकट दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और आम कार्यकर्ता दोनों का मोहभंग हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सिराज मेहदी, जो अल्पसंख्यक इकाई के प्रमुख भी हैं, ने उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर राज्य में पार्टी की गतिविधियों के प्रति असंतोष प्रकट किया है। पूर्व विधायक मेहदी का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है जबकि कांग्रेस केवल ट्विटर और समाचार पत्रों में ही लड़ती दिख रही है। उन्होंने 50 साल से ज्यादा पुराने नेताओं को हाशिये पर लगाने का इल्जाम भी लगाया।

आपका पक्ष

देश की वन संपदा का संरक्षण जरूरी

मुंबई में मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। मुंबई में मेट्रो परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है जिससे भविष्य में वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के मुकाबले केवल 20.06 प्रतिशत भूमि ही वन क्षेत्र है, जबकि देश में केवल 24.39 प्रतिशत वन क्षेत्र बचा है। केंद्र और राज्य सरकारें विविध योजनाओं के जरिये 33 प्रतिशत आंकड़ा छूने का प्रयास कर रही है ताकि गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में कमी आए। लेकिन जब भी परियोजनाओं की बात आती है तब विकास के नाम पर पर्यावरण को ही ताक पर रखा जाता है। बढ़ती आबादी, विविध परियोजनाओं के नाम पर वृक्षों की कटाई, खेती, ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग, जंगल में बढ़ते आग के मामलों की वजह से देश की वन संपदा खतरे में है। पेड़ों की कमी के चलते देश कार्बन उत्सर्जन के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पर है। अशुद्ध वायु के कारण दमा के मरीज बढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने के लिए दायरे में रहकर विकास कार्य करने होंगे। ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वायु, जल तथा भोजन मिल सके। किसी भी परियोजना शुरू करने से पहले सरकार को पर्यावरणीय नुकसान का गंभीरता से आकलन करना चाहिए तथा देश की जनता की राय जानने के बाद ही परियोजना निर्माण का निर्णय लेना चाहिए। देश की वन संपदा में वृद्धि करना आज कठिन चुनौती है। इसलिए देश की सरकार और नागरिकों को पेड़ संरक्षण एवं इसमें वृद्धि के लिए सामूहिक प्रयास करना जरूरी है।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने मुंबई मेट्रो शेड के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी

प्लास्टिक कचरे से निजात जरूरी

विज्ञान ने ऐसी बहुत सी खोज की है जो आज अभिशाप बनकर रह गई है। ऐसा ही एक अभिशाप है प्लास्टिक। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वह बहुत खतरनाक रसायन पॉलि विनायल क्लोराइड है। इससे अनेक बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार अस्तित्व में आने के बाद प्लास्टिक कम से कम 500 वर्षों तक खत्म नहीं होता है। समुद्र में वर्ष 1950 से 2016 के बीच 66 वर्षों में जितना प्लास्टिक जमा हुआ है इतना ही अगले एक दशक में जमा होने की आशंका है। इससे महासागरों में प्लास्टिक कचरा 30 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। हर साल उत्पादित होने वाले कुल प्लास्टिक में से महज 20 फीसदी का ही पुनर्चक्रण हो पाता है। हमने अपनी मौत का सामान खुद ही चारों तरफ सजा लिया है। वैसे भी हमने पर्यावरण को बरबाद करने वाले सभी तौर तरीकों को अपना लिया है। चाहे वह जंगल काटने का मामला हो या खाद्य पदार्थ में कीटनाशकों और उर्वरकों का घुलता जहर। प्लास्टिक भी हमारे जीवन के किसी भी हिस्से से अछूता नहीं है। हम कुदरत द्वारा दिए गए संसाधनों को दरकिनार कर प्लास्टिक या इसके जैसे अन्य उत्पादों को अपने जीवन का अंग बनाते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम खुद को प्लास्टिक के कफन में दफन कर लेंगे।

नृपेंद्र अभिषेक, ईमेल से

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।